**FORM No. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

| | | |
|---|---|---|
| रामेश्वर लाल पुत्र गोपाललाल रोन, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा वगेरा। | बनाम | राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल शर्मा, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा वगेरा। |
| – प्रार्थी | | –विपक्षी |

प्रकरण संख्या 02/2024 स्थगन प्रा0 पत्र

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.01.2024 | प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के खसरा संख्या 1031/02 में विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा दिनांक 05.05.2011 को मिसल संख्या 02/2011 कायम कर विपक्षी संख्या 02 राजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम सुखाड़िया नगर नामी योजना में पट्टा संख्या 69 नापती 30 बाई 45 दिनांक 15.12.2019 को जारी किया गया। जिस पर सरपंच/सचिव के अंकित हस्ताक्षर वर्ष 2016 के है। साथ ही अवगत कराया गया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 167(1) के तहत नीलामी के जरिये जारी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टा दस्तावेज अपने आप में संदिग्ध हो जाता है। इस कारण व्यक्तिगत लाभ देने के लिए जारी उक्त पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। निगरानी के निस्तारण तक वादग्रस्त भूखण्ड पर विपक्षी 02 द्वारा अवैध तरीके से कराये जा रहे निर्माण कार्य को अतिशीघ्र रूकवाये जाने व अवैध रूप से किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।<br><br>मामले तथ्यों का अवलोकन करने पर प्रथमदृष्टया प्रकरण प्राथी के पक्ष में प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी संख्या 02 एवं 01 को नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी संभावित है। अतः सुविधा संतुलन इसी में है कि अग्रिम तारीख पेशी तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थित बनाए रखी जावे।<br><br>अतः इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी पेशी दिनांक तक दिया जाता है कि अप्रार्थीगण ग्राम शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में स्थित खसरा संख्या 1031/02 में जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 15.12.2019 (नपती 40 बाई 40 फीट) से संबंधित उक्त विवादग्रस्त जायदाद को रहन, विक्रय, खुर्द-बुर्द नहीं करे एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर को निर्देशित किया जाता है कि सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ की उपस्थिति में वीडियाग्राफी एवं फोटोग्राफी करावें, जिसमें लोकेशन एवं समय का अंकन भी हो। उक्त वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अगली तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें तथा स्वयं भी व्यक्तिशः उपस्थित होवें। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब हेतु नियत दिनांक 19/01/2024 को पेश हो।<br><br>(टीकम चन्द बोहरा)<br>जिला कलक्टर<br>शाहपुरा।<br>जिला कलक्टर | |

19.01.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी जी अन्य राजकीय कार्य में
हैं अत: पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के वास्ते
लिए दिनांक 07.02.2024 को
पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
शाहपुरा

07.02.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी जी अन्य राजकीय कार्य में
हैं अत: पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के वास्ते
लिए दिनांक 15.02.2024 को
पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
शाहपुरा

15.02.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी जी अन्य राजकीय कार्य में
हैं अत: पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के वास्ते
लिए दिनांक 06.03.24 को
पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
शाहपुरा

6.3.24 पत्रावली पेश हुई. निगरानीकार के अधिवक्ता उपस्थित. और निगरानीकार की ओर से जवाब व बहस हेतु समय चाहा. पत्रावली वास्ते जवाब व बहस दिनांक 13.3.24 को पेश हो-

जिला कलक्टर
शाहपुरा

13.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी सं. 02 राजेन्द्र कुमार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.03.2024 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

20.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.03.24 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

21.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मूल निगरानी के साथ दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

27.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03.04.24 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

03.04.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.04.2024 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

04.04.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण से संबंधित मूल निगरानी में बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली मूल निगरानी के साथ दिनांक 04.04.2024 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

09.04.024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। पत्रावली मूल निगरानी के साथ दिनांक 18.04.24 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

18.04.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल निगरानी में निर्णय लिखाया गया। मूल निगरानी प्रकरण का निस्तारण हो जाने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन ~~स्व.~~ में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम करें।

जिला कलक्टर
शाहपुरा